



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प-ग्रामीण सेवा शिविर-2025 ग्रामीण सेवा शिविर-2025

--: आदेश ::--

प्रार्थी खातेदारी के खाता नुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-कारखा..... व
भू - अभिलेख निरीक्षक, तुल-खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंषा के आधार
पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. लाखापनवा

..... पटवार मण्डल-कारखा तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की
जमाबन्दी संवत्-2075-2078..... में खाता संख्या-154..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित
रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
लाखापनवा	154	काना पुत्र काला	कानिलाल

(Handwritten Signature)

पीठासीन अधिकारी
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं
पुंर लोहायुधि करमेस्ट्रर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

कमांक :- सेवा शिविर-2025/8/2025/1491-1499

दिनांक :-18.09.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री कानिलाल पुत्र कालुराम..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खैरवाडा अधिकारी
जिला मन्सा उदयपुर (राज0) (राज.)